Case Study-4

स्थानीय क्रय के माध्यम से ख़रीदे गए सीसीटीवी कैमरा के निरीक्षण में अनियमितता के सम्बन्ध में ।

आलोक कुमार त्रिपाठी
मुसतानि/सिग.

पूर्वोत्तर रेलवे के एक स्टोर डिपो में स्थानीय क्रय हेतु जारी किये गये कुछ P.O. की जांच किया गया। सीसीटीवी कैमरों के खरीद हेतु जारी P.O. की जांच में यह पाया गया कि उक्त की खरीद हेतु स्टोर डिपो द्वारा लिमिटेड टेन्डर जारी किया गया था। कार्यदायी फर्म द्वारा दिये गये प्रस्ताव में कैमरों के मेक एवं प्रकार का स्पष्ट उल्लेख किया गया था। सीसीटीवी कैमरों के खरीद के लिये जारी P.O. के अनुसार कैमरों का निरीक्षण Consignee द्वारा किया जाना था। सतर्कता जांच के दौरान Material Passing रजिस्टर मांगे जाने पर Consignee द्वारा यह स्वीकार किया गया कि Material Passing रजिस्टर नहीं बनाया गया है तथा मात्र फर्म के वितरण चालान पर मदों के प्राप्त होने की जानकारी दर्ज कर दिया जाता है । इस प्रकार Consignee Inspection किये जाने से सम्बंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी । प्राप्त कैमरों की जांच किया गया जिसमे यह पाया गया कि उक्त कैमरे P.O. में दर्ज मेक से अलग मेक के हैं तथा P.O. के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा Dome Type IP कैमरा दिया जाना चाहिये था किन्तु प्राप्त कैमरे I.P. कैमरे नहीं थे। सम्बन्धित Consignee द्वारा यह स्वीकार किया गया कि सीसीटीवी कैमरों के सम्बन्ध में उचित जानकारी न होने के कारण कैमरों का ठीक प्रकार से निरीक्षण नहीं किया जा सका तथा कार्यदायी संस्था को भुगतान की अनुशंसा कर दिया गया था । सतर्कता जांच के दौरान उक्त Consignee से सम्बंधित कुछ अन्य P.O. की जांच भी की गई। जांच में यह पाया गया कि कुछ मदों की वितरण अवधि समाप्त हो चुकी थी किन्तु फर्म द्वारा बिना वितरण अवधि को बढ़वाए मदों की आपूर्ति स्टोर डिपो को कर दिया गया था जिसे काफी समय पश्चात Consignee द्वारा स्वीकार कर लिया गया था । इस सम्बन्ध में स्टोर डिपो द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म को अभी भुगतान नहीं किया गया है तथा विलम्ब हेतु फर्म के भुगतान में कटौती कर दिया जायेगा। सीसीटीवी कैमरों के अतिरिक्त अन्य सभी मद जारी P. O. में उल्लिखित विवरण के अनुरूप पाए गये ।

अतः सीसीटीवी कैमरों के P.O के अनुसार मेक एवं प्रकार का नहीं होने के कारण तथा वितरण अवधि समाप्त हो जाने पश्चात् बिना अवधि बढ़वाए फर्म द्वारा आपूर्ति लिये जाने के कारण सतर्कता विभाग की संस्तुति पर विभाग द्वारा जिम्मेदार रेल कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई ।